झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

## आदेश

राँची, दिनांक–..........................

संचिका संख्याः–8/आरोप–06/2021 का०........................../झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री **अमित कच्छप, तत्कालीन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची** के विरूद्ध आरोप पत्र कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1324 दिनांक–09.12.2021 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–167 दिनांक–12.01.2022 द्वारा श्री कच्छप से आरोप के सम्बन्ध में बचाव–बयान की माँग की गई तथा विभागीय पत्रांक–2214 दिनांक–07.04.2022, पत्रांक–3537 दिनांक–08.06.2022 एवं पत्रांक–5768 दिनांक–14.09.2022 द्वारा इन्हें अन्तिम रूप से स्मारित भी किया गया, परन्तु श्री कच्छप द्वारा आरोप के सम्बन्ध में कोई बचाव–बयान समर्पित नहीं किया गया।

3. श्री कच्छप, तत्कालीन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (सम्प्रति–प्रशाखा पदाधिकारी) के विरूद्ध आरोप–पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–17 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

4. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री आसिफ हसन, उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को एतद् द्वारा संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन में सरकार के तरफ से आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए श्री शिव कुमार केडिया, अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(गुलाम सरवर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 8/आरोप–06/2021 का०..................../ राँची, दिनांक........................

प्रतिलिपि :– श्री आसिफ हसन, उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को आरोप–पत्र एवं साक्ष्य अभिलखों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही का संचालन स–समय निष्पादित करते हुए जाँच प्रतिवेदन इस विभाग में शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनु0 :– यथोक्त।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 8/आरोप–06/2021 का॰....................../ राँची, दिनांक.........................

प्रतिलिपि :– श्री शिव कुमार केडिया, अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को आरोप–पत्र एवं साक्ष्य अभिलखों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 8/आरोप–06/2021 का॰....................../ राँची, दिनांक.........................

प्रतिलिपि :– सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री अमित कच्छप, तदेन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (सम्प्रति–प्रशाखा पदाधिकारी), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 8/आरोप–06/2021 का॰ 7143 / राँची, दिनांक 17.11.2022

प्रतिलिपि :– ई–नोडल पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.11.22

सरकार के अवर सचिव।